भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1343
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
#1343. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उज्जैन जिले में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं एवं कौन-कौन से तकनीकी हस्तक्षेप किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार उज्जैन के किसानों के लिए विशेष कृषि बीमा योजनाओं और सिंचाई सुविधाओं की पहुंच का विस्तार किस प्रकार कर रही है;

(ग) उज्जैन जिले में कृषि आधारित आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी स्वरोजगार योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उज्जैन क्षेत्र में किसानों के बीच कृषि क्षेत्र में उपलब्ध राजसहायता और वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकार के प्रयासों को भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से अनुपूर्ति की जा रही है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन योजनाओं में कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है जिसमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, सिंचाई, विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं। सभी योजनाओं में एक या अधिक तकनीकी हस्तक्षेप हैं। जबकि कुछ योजना विशेष हैं, रीयल टाईम कार्यान्वयन और निगरानी की सुविधा के लिए डिजिटल हस्तक्षेप भी शामिल हैं। विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं की सूची यहाँ दी गई है

अनुबंध-I ये सभी योजनाएं मध्य प्रदेश सहित देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और किसानों को लाभकारी लाभ सुनिश्चित करना है।

विभाग अपनी प्रमुख योजना "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" के माध्यम से किसानों को अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान कर रहा है। योजना में सुधार लाने तथा तकनीकी नवाचारों के माध्यम से इसे अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए योजना में उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-II में** दिया गया है।

रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एग्री एक्सिलेरेटर फंड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के माध्यम से किसान समुदाय, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सस्ती/रियायती सब्सिडी दर पर सहायता/ऋण प्रदान किया जा रहा है।

अनुबंध-I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं की सूची

केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

कृषोन्नति योजना

1. समेकित कृषि विपणन योजना-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ईएनएएम)
2. समेकित कृषि विपणन योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन- तिलहन (एनएफ एसएनएम-ओएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएम ईओ-ओपी)
6. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता
5. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
8. फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उठाए गए कदम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत इस योजना को और अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो किसानों को बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम कवर प्रदान करता है, जिससे किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। यह योजना किसानों की आजीविका की रक्षा करती है और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर, यस-टेक, विंड्स, क्रॉपिक आदि जैसे विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों को योजना में शामिल किया गया है। योजना में तकनीकी हस्तक्षेपों का विवरण निम्नानुसार है:

i. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान)** - फसल हानि आकलन और उपज अनुमान के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान तंत्र है, जो अनुमोदित प्रौद्योगिकियों/दृष्टिकोणों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग सूचकांक, मौसम सूचकांक, फसल फेनोलॉजिकल सूचना, मृदा के प्रकार आदि से प्राप्त डेटा इनपुट द्वारा समर्थित है।

ii. विंड्स **(मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** - तालुका/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा गेजों का एक नेटवर्क है, जो विभिन्न सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए सभी किसान और खेती उन्मुख सेवाओं के लिए उपयोग करने हेतु अति-स्थानीय मौसम डेटा का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करता है।

iii. **डिजी-क्लेम-पेमेंट मॉड्यूल** - इस मॉड्यूल का उद्देश्य एनसीआईपी को पीएफएमएस के साथ एंड टू एंड एकीकृत करना है। अब सरकार को पात्र दावों की मात्रा, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों और लाभार्थी किसानों को अंतरित वास्तविक दावों की जानकारी होगी, जो अब तक गायब थी और सरकार हमेशा इन रिपोर्टों और आंकड़ों के लिए बीमा कंपनी पर निर्भर रहती थी।

iv. **एआईडीई (इंटर मेडिएरी नामांकन के लिए ऐप)**: खरीफ 2023 में बीमा मध्यस्थों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से किसानों को उनके द्वार पर नामांकन के लिए एक स्मार्ट-फोन ऐप तैयार किया गया है और इसे शुरू किया गया है। यह किसानों को पूरी तरह से कागज़-रहित और कैश-लेस अनुभव प्रदान करता है

v. **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन** : किसानों को अपनी शिकायतें/चिंताएं/प्रश्न दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल और कॉल सेंटर युक्त अखिल भारतीय एकल नंबर एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है।

vi. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन :- इस** योजना के कार्यान्वयन के दौरान रीयल टाईम के अनुभव के आधार पर और इसके सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल करते हुए इस योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों को 2018 और 2022 में संशोधित किया गया है।

*****